

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10243 / 5220

दिनांक :- 18-02-2020

कार्यालय आदेश

श्री गणेश लाल मेघवाल [लिंक न. 10243] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 04/10/2018 से 11/10/2018 तक 8 दिवस

कुल 8 दिवस

उक्त कुल 8 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री गणेश लाल मेघवाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10243 / 5220

दिनांक :- 18-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री गणेश लाल मेघवाल [10243] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)